संख्या–779/77-2022-3(मुद्रण)/17

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2022

विषय:- राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में स्वीकृत केयर टेकर के एक पद को गेट जमादार पद में संविलीन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-5) में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के संबंध में की गयी संस्तुतियों को लागू करने के संबंध में औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-133/77-2-2012-17(रिट)पीएस/11 दिनांक 23-01-2012 के बिन्दु-(13) में निम्नवत् व्यवस्था है :-

''केयर टेकर तथा गेट जमादार/प्रेस जमादार के पदों को भविष्य में गेटमैन से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ही भरा जाएगा। केयर टेकर तथा गेट जमादार/प्रेस जमादार के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 2610-3540 के स्थान पर वेतनमान रू0 3200-4900 के सादृश्य वेतनबैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेट वेतन रू0 2000/- अनुमन्य किया जाता है।''

2- अत:इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-5) में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के संबंध में की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में स्वीकृत केयर टेकर के 01(एक) पद को गेट जमादार(04) के पद में संविलीन किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदया स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस प्रकार मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में गेट जमादार के कुल स्वीकृत पद 05 (पाँच) हो जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या**–E-6-38-X-2022-23,** दिनांक 19 जुलाई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश यादव)
उप सचिव।

संख्या-779(1)/77-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2)- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
(3)- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(4)- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ/रामपुर/वाराणसी।
(5)- वित्त (ई-6) अनुभाग/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(6)- गोर्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।